वित्तीय स्वीकृति (2017-18)

संख्या- 11/2017/712/एक-5-2017-68/2014 टी0सी0

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊ :: दिनांक 06 जुलाई, 2017**

विषयः- जनपद उन्नाव की तहसील बांगरमऊ के आवासीय भवनों का निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद के पत्र संख्या-400/12(भवन)-19/2015, दिनांक 30 मई, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद उन्नाव की तहसील बांगरमऊ के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-407/एक-5-2015-68/2014, दिनांक 25 मार्च, 2015 के द्वारा मानकीकृत लागत रू0 264.23 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 132.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-558/एक-5-2016-68/2014, दिनांक 18 मई, 2016 के द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 132.23 लाख की धनराशि अर्थात मानकीकृत लागत रू0 264.23 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा शासनादेश संख्या-1870/एक-5-2017-68/2014, दिनांक 21 फरवरी, 2017 द्वारा प्रायोजना का निर्माण मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर फ्रेम स्ट्रेक्चर पर कराये जाने की अनुमति सहित प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 618.81 लाख (रूपये छः करोड़ अठ्ठारह लाख इक्यासी हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया तथा उपरोक्तानुसार अब-तक कुल अवमुक्त धनराशि रू0 264.23 लाख को घटाते हुए अनुमोदित पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अन्तर की धनराशि रू0 354.58 लाख के सापेक्ष कार्य की निरन्तरता बनाये रखने हेतु तृतीय किश्त के रूप में रू0 50.00 लाख की धनराशि अवमुक्त/स्वीकृत की गई थी, उक्त के अनुक्रम में कार्य पूर्ण किये जाने हेतु अनुमोदित पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अवशेष अन्तर की धनराशि/अन्तिम किश्त के रूप में रू0 304.58 लाख (रूपये तीन करोड़ चार लाख अठ्ठावन हजार मात्र) अवमुक्त कर उक्त प्रयोजन हेतु नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उक्त प्रयोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराये गये कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से उपलब्ध कराया जाय। निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूर्ण भी किया जाय।

(3) स्वीकृति धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। मूल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश में दिये गये दिशानिर्देशों तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि को डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-01-सरकारी रिहायशी भवन-106-साधारण पूल आवास-07-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के आवासीय भवनों के चालू कार्यों एवं भूमि क्रय हेतु-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 के द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
गिरीश चन्द्र
अनु सचिव।

संख्या- 712(1)/एक-5-2017-68/2014 टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- जिलाधिकारी, उन्नाव।
6- प्रबंध निदेशक, पैकफेड/संबंधित परियोजना प्रबंधक।
7- राजस्व अनुभाग-6
8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।